सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रपत्र–ड
नियम 10 (2)(3)

न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) माता पिता और वरिष्ठ भरण–पोषण चूरू
पीठासीन अधिकारी, सुश्री श्वेता कोचर, उपखण्ड अधिकारी, चूरू

भरण पोषण का आवेदन संख्या : 6/2017

निर्णय दिनांक :– 18.01.2018

1. केदारनाथ पुत्र स्व. बजरंगलाल जाति औझा (ब्राह्मण), उम्र 74 वर्ष निवासी वार्ड नं. 33 गढ़ के पीछे, चूरू
2. श्रीमती वीणादेवी पत्नी केदारनाथ जाति औझा (ब्राह्मण), उम्र 68 वर्ष निवासिनी वार्ड नं. 33 गढ़ के पीछे, चूरू

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. हेमकरण पुत्र केदारनाथ जाति औझा (ब्राह्मण), पेशा ड्राईवर–रॉयल राजस्थान फिल्टर पानी सप्लायर्स, मोचीवाड़ा, लाल टंकी गोयनका की सामने, मोचीवाड़ा, चूरू रिहायश वार्ड संख्या–33, गढ़ के पीछे, चूरू
2. उमेश
3. दीपक
4. पवन

(2–4) पि. केदारनाथ जाति औझा (ब्राह्मण), निवासी वार्ड नं. 33 गढ़ के पीछे, चूरू

–अप्रार्थीगण–

– : : आदेश : : –

यतः माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन एक आवेदन–पत्र प्रार्थीगण द्वारा अधिकरण के समक्ष फाईल किया गया है कि संतान द्वारा आवेदकगण का भरण–पोषण नहीं किया जा रहा है और यतः संदर्भित आवेदन पर पक्षकारान को नोटिस द्वारा बुलाया गया। अप्रार्थीगण पर नोटिस विधिवत तामील होने पर अप्रार्थीगण उपस्थित हुए एवं इकबालिया जवाब भी पेश किया। अप्रार्थीगण ने अपनी माता–पिता की पूर्णतया उपेक्षा कर रखी है तथा प्रार्थीगण की कोई सेवा–सुश्रुषा नहीं करते हैं। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को भरण पोषण तथा बीमारी के इलाज हेतु आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को समझाईश की गई जिस पर प्रत्येक अप्रार्थी ने अपने माता–पिता को प्रत्येक माह के प्रारम्भ में 800/– 800/– रूपये भरण पोषण हेतु देना स्वीकार किया तथा प्रार्थीगण ने इस पर अपनी सहमति दी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजीनामा के अनुरूप स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण 1. हेमकरण, 2. उमेश, 3. दीपक, 4. पवन पुत्रगण केदारनाथ जाति औझा (ब्राह्मण), निवासीगण वार्ड नं. 33 गढ़ के पीछे, चूरू को प्रत्येक को अपने माता–पिता को 800–800 रूपये प्रतिमाह माह के प्रथम सप्ताह में देने के निर्देश भरण पोषण अधिनियम 2007 की धारा–10 के अन्तर्गत दिये जाते हैं। अप्रार्थीगण द्वारा रूपये 3200/– अदा नहीं किये जाने की सूरत में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित कार्यवाही बिना नोटिस दिये की जावेगी।

आदेश आज दिनांक 18.01.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी
अधिकरण भरण पोषण अधिनियम
(उपखण्ड अधिकारी) चूरू